न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 004 / 2013
जीसीएमएस नं. :—2013 / 00115

रामप्रताप पुत्रा खमाणाराम निवासी जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामजस पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन बड़गिराना तहसील नोहर—फौत
2. सुलतान सिंह
3. नन्दलाल
4. भूप सिंह
5. महेन्द्र
6. जयसिह

पुत्रगण मेहरचन्द अकवाम जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज0।

7. मु0 मोहरी बेवा मेहरचन्द जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर
8. बंशीलाल वल्द हरिसिंह जाति जाट साकिन हाल बड़बिराना तहसील नोहर।
9. लाधूराम
10. मोहनलाल

वल्द हरिसिंह जाति जाट साकिन हाल बड़बिराना तहसील नोहर।

11. रामलाल वल्द धनपत जाति जाट साकिन धीरवास छोटा तह0 तारानगर हाल आबाद साकिन बड़बिराना
12. लिखमीचन्द
13. हरदयाल
14. काशीराम
15. गिरधारी
16. रामसिह
17. लक्ष्मीनारायण

पुत्रगण भूराराम अकवाम जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

18. देवकी पुत्री भूराराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।
19. सुमित्रा जोजा कृष्णकुमार जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।
20. भतेरी पत्नी रामसिंह जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।
21. माली पुत्री फुसाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

22. लिछमण
23. रामकुमार
24. भूपसिंह
25. रणजीत सिह

} पुत्रगण श्रवणीदेवी पुत्री फूसाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

26. संतोष
27. विद्या
28. भंवरी
29. नारायणी

} पुत्रियान श्रवणीदेवी पुत्री फुसाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर।

—रेस्पोडेण्ट्स

31. जुगलाल पुत्र खमाणाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर। —फौत

31/1 सावित्री पुत्री स्व0 जुगलाल
31/2 श्योकरण पुत्र स्व0 जुगलाल
31/3 गोमती पुत्री स्व0 जुगलाल
31/4 सागरमल पुत्र स्व0 जंगलाल
31/5 तारा पुत्री स्व0 जुगलाल
31/6 बाधो पुत्री स्व0 जुगलाल
31/7 पूर्वी पुत्री स्व00 जुगलाल
31/8 प्रमेश्वरी पुत्री स्व0 जुगलाल

} जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2012
द्वारा उपखंड अधिकारी, नोहर
प्र. सं. 1/2009 अनवान रामजस बनाम जुगलाल आदि

उपस्थितिः—

श्री मदनमोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 30

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 22.6.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रामजस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अर्जीदावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत पेश किया। जिसमें वादी आराजी जरइ खसरा नं. 130/30.10 बीघा दक्षिणी पास वाके रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर का खातेदार काश्तकार घोषित करने उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं होने तथा इसी खसरा नं. 128/0.17–1/2 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा व खसरा नं. 133/0.17–1/2 पश्चिमी हिस्सा खसरा नम्बर 132/1.10 बिघा पश्चिमी हिस्सा व खसरा नं. 129/0.05 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा व कुल 3.10 बिघा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 दोनों खातेदार काश्तकार होने तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 30 का कोई हक हिस्सा नहीं होने एवं वाद पत्रकी मद सं0 18 के ख व ग के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण वादपत्र का जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादि आंशिक डिक्री किया जिससे व्यथित हेकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्यो का विश्लेषण के व विवेचन किये बिना ही पारित किया है। अदालत ने तनकी नं. 1 का निर्णय एकपक्षीय तौर से दिया है। केवल तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर वाद वादी डिक्री कतई अनुचित तरीके से किया गया है। तहसीलदार ने जिस समय मौका देखा वह रिपोर्ट कतई एकपक्षीय थी जो वादी ने अपने तरीक से तैयार करवायी थी। क्यों जिस समय मिन प्रतिवादी का कोई वाद जैरकार नहीं था। तहसीलदार को न्यायलय हाजा में साक्ष्य के तौर पर परिक्षित नहीं करवाया गया ना ही प्रतिवादीगण को जिरह करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ। केवल अस्पष्ट व संदिग्ध रिपोर्ट बिना प्रदर्शित किये तथा बिना साक्ष्य किये माना जाना साक्ष्य अधिनियम के सिद्धान्तों के विपरीत है। वादी का ख0 नं0 130 में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर 3.10 बीघा भूमि जो तहसीलदार की रिपोर्ट में है में यह नहीं बताया गया कि कुल कितनी भूमि निकलती है, कौनसे पासे की निकलती है। इसके बावजूद गैर कानूनी तरीके से निर्णय पारित किया गया है। संवत 2001 का साबिका नक्शा व संवत

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1964–65 का नक्शा से मिलान नहीं किया गया ना ही वादी ने मिलान करवाया तथा पुराने नक्शे को नये नक्शे से सुपरइंपोज नहीं किया गया। ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट ख0 नं0 130 की 3.10 बीघाभूमि ख0 नं0 120 का भाग है। जब यह साबित ही नहीं था तो न्यायालय हाजा द्वारा मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर मिन अपीलांट की खातेदारी भूमि काटने का कोई राईट नहीं था। मिन प्रतिवादीगण ने यह साबित किया था कि ख0 नं0 130 की भूमि संवत 2012 से उसके पिता खुमाणा ने अर्जित की थी। तथा 55 सालों से उसकी सींव व डोल को जो किसी ने मिस्मार नहीं किया अर्थात अपीलाण्ट के कब्जे में थी। तनकी नं0 2 का निर्णय बिना किसी तर्क वितर्क के तथा साक्ष्य को नजरअंदाज कर पारित किया गया है। मात्र ख नं. 120 का प्लोट करने पर ख. नं. 130 के रकबे से कभी प्लोट नहीं होता तथा ना ही कोई सीमा वादी की ख. नं. 130 में आती है। ख. नं. 130 की उतरी सीमा एकदम सीधी लाईन बंदी में है तथा पक्षपातपूर्ण तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर तनकीयात पारित की है। अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट की भूमि 53.06 मानी है तथा स्वयं वादी ने कहा कि प्रतिवादीगण की इतनी ही है तथा अपने बयानों व वाद में भी कहा है। लेकिन सुलतान सिह रेस्पो0 के पास प्रतिवादीगण की भूमि हेाना बताया है। यदि ऐसा है तो कब्जा सुलतानसिह के पास होता तथा वादी मिन प्रतिवादी की 53.06 बीघा भूमि नहीं मानता। वादी की स्वीकारोक्ति थी कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 कुल 53.06 बीघा के खातेदार काश्तकार हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया गया है तथा मिन प्रतिवादीगण की भूमि कलमजन करने के आदेश पारित कर दिये तथा आंशिक डिक्री पारित कर दी हालांकि आंशिक डिक्री की घोषणा का मातहत न्यायालय अधिकारी नहीं था। वादी साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 से एस्टोपलड था तथा वादी आंशिक डिक्री जारी करवा पाने का अधिकारी नहीं था। पुराना वाद 103/2000 व नया 143/2006 रामजस बनाम सोहनलाल इस आशय का पेश किया था कि वादी के पिता गणराम की 47.17 खाम भूमि थी जो उनके कब्जा काश्त में थी जिसके हाल ख. नं. 120 की 26.05 व 121 की 3.00 कुल 29.05 बीघा भूमि थी उक्त वाद दिनांक 29.04.2008 को खारिज हो गया था। उक्त वाद की वादी ने आज तक कोई अपील पेश नहीं की। अब नया वाद ख0 नं0 130 की 3.10 बीघा भूमि का पेश किया है। वादी के पूर्व में प्रस्तुत दोनों वादों में यह तैय नहीं हुआ कि वादी की 1.00 बीघा भूमि है या 3.10 बीघा भूमि कम है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पूर्व वाद ख0 नं0 121 का किया था जो साबित नहीं होन पर नया वाद ख. नं. 130 की भूमि का किया है इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के अनुसार वादी एस्टोपलड है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 आरबीजे पेज 314, 2016 (1) सीसीसी पेज 4, 2012 आरबीजे पेज 4, 1990 आरआरडी पेज 205, 2017 (4) सीसीसी पेज 81, 2010 आरबीजे पेज 272, 1992 आरआरडी पेज 114, के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के पिता श्री गणपत वल्द उदा की 47.17 बीघा खाम भूमि थी। जो संवत 2012 में राज्य सरकार से रकम के बदले सदा के लिए वास्ते काश्त हासिल हुई थी। जिसके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के वक्त बतौर खातेदार काश्तकार हो चुके थे। गणपत वल्द उदा फौत हो चुका है उक्त भूमि का वादी गणपत की जगह खातेदार काश्तकार है। पैमायश हाल में ख. नं. 120 तादादी 6.6390 है0 यानि 26.05 बीघा पुख्ता व हाल ख. नं. 130 की 0.886 है0 यानि 3.10 बीघा दक्षिणी पास कुल तादादी 7.5250 है0 में परिवर्तित हो चुकी थी। मिसल बन्दोबस्त जमाबंदी संवत 2029 से 2038 में बन्दोबस्त अधिकारियों ने हाल ख. नं. 120/26.05 बीघा तो वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दी मगर हाल ख. नं. 130/3.10 बीघा दक्षिणी पास कतई नाजायज बिना हक व अधिकार व बिना कब्जा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के नाम गलत दर्ज कर दिया गया जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा स्वीकार किया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई थीं तहसीदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत अभिलेख अनुसार पूर्व में एक वाद रामजस बनाम सोहनाराम पेश हुआ था जिसमें तहसीदार से मौका रिपोर्ट मंगवाइ गई जिसके अनुसार खसरा नं. 120 व 121 की भूमि पूरी दर्ज है एवं खसरा नं. 130 का कुछ भाग खसरा नं. 120 में प्लोट होता है। जिसके कारण वादी का वाद खारिज किया गया था। तब वादी के द्वारा यह नया वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो एस्टोपल्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नहीं है। पूर्व में तहसीलदार की मौका पैमाईश में स्पष्ट अंकित है कि ख. नं. 130 का कुछ भाग 150 में प्लोट हेाता है जो 3.10 बीघा है इसलिए ही भूमि वादी के द्वारा चाही जा रही है। केवल नक्शा में तरमीम नहीं है जिसे तरमीम की जाकर वादी को दिलाई जानी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित माना है। अपील स्तर पर भी तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं सुपर इम्पोज/प्लोट मंगवाई गई। तहीसलदार भू.अ. नोहर की इस रिपोर्ट 12157 दिनांक 28.12.2022 से भी यह साबित नहीं होता है कि खसरा नं. 120 व 121 की भूमि पूरी दर्ज है एवं खसरा नं. 130 का कुछ भाग खसरा नं. 120 में प्लोट नहीं हेाता हो। इस प्रकार ख0 नं0 130 का कुछ भाग 120 में प्लोट होता है जो 3.10 बीघा इतनी ही भूमि रेस्पोडेण्ट वादी द्वारा चाही गई है। जो वादी को दिलाई जानी उचित है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 को केवल कब्जा के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। केवल ख0 नं0 का रकबा एक दूसरे में प्लोट होने के कारण प्रतिवादी सं0 1, 2 का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादी अपने हक तक ही अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । यदि इस वाद में किसी पक्षकार की भूमि कम हेाती है तो वह उसे पूरी करवाने के लिए अलग से वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस वाद में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि वादी/रेस्पोडेण्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आया हो। रेस्पोडेण्ट ने न्यायालय मे पूर्व वाद के निर्णय के अनुसार ही नया वाद पेश किया है जिसे वादी/रेस्पोडेण्ट पेश करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 22.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/6/23

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्याः– 004 / 2013
जीसीएमएस नं. :–2013 / 00115

रामप्रताप पुत्रा खमाणाराम निवासी जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर। ––अपीलार्थी

बनाम

1. रामजस पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन बड़गिराना तहसील नोहर–फौत
2. सुलतान सिंह
3. नन्दलाल
4. भूप सिंह
5. महेन्द्र
6. जयसिह

(2–6) पुत्रगण मेहरचन्द अकवाम जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज0।

7. मु0 मोहरी बेवा मेहरचन्द जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर
8. बंशीलाल वल्द हरिसिंह जाति जाट साकिन हाल बड़बिराना तहसील नोहर।
9. लाधूराम
10. सोहनलाल

(9–10) वल्द हरिसिंह जाति जाट साकिन हाल बड़बिराना तहसील नोहर।

11. श्यामलाल वल्द धनपत जाति जाट साकिन धीरवास छोटा तह0 तारानगर हाल आबाद साकिन बड़बिराना
12. लिखमीचन्द
13. हरदयाल
14. काशीराम
15. गिरधारी
16. रामसिह
17. लक्ष्मीनारायण

(12–17) पुत्रगण भूराराम अकवाम जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

18. देवकी पुत्री भूराराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।
19. सुमित्रा जोजा कृष्णकुमार जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।
20. भतेरी पत्नी रामसिंह ज़ाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।
21. माली पुत्री फुसाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।
22. लिछमण
23. रामकुमार
24. भूपसिंह

(22–24) पुत्रगण श्रवणीदेवी पुत्री फूसाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

25. रणजीत सिह
26. संतोष
27. विद्या
28. भंवरी
29. नारायणी

} पुत्रियान श्रवणीदेवी पुत्री फुसाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर।

—रेस्पोडेण्ट्स

31. जुगलाल पुत्र खमाणाराम जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर। —फौत

31/1 सावित्री पुत्री स्व0 जुगलाल
31/2 श्योकरण पुत्र स्व0 जुगलाल
31/3 गोमती पुत्री स्व0 जुगलाल
31/4 सागरमल पुत्र स्व0 जंगलाल
31/5 तारा पुत्री स्व0 जुगलाल
31/6 बाधो पुत्री स्व0 जुगलाल
31/7 पूर्वी पुत्री स्व00 जुगलाल
31/8 प्रमेश्वरी पुत्री स्व0 जुगलाल

} जाति जाट साकिन बड़बिराना तहसील नोहर।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2012 द्वारा उपखंड अधिकारी, नोहर
प्र. सं. 1/2009 अनवान रामजस बनाम जुगलाल आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनमोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 30, की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2012 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.6.23 को जारी की गई।

22/6/23

(करतार सिंह पूनियां) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
हनुमानगढ